आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।
रैयतिकरण वाद संख्या–01/2020
सोनाकली देवी बनाम अंचल अधिकारी, करपी
आदेश

26/04/2021

आवेदिका सोनाकली देवी, पति–चनारिक यादव, ग्राम–बढ़ेता, टोला–सरैया, थाना–परस विगहा, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से रैयतिकरण वाद दायर किया है जिसे आवेदन में वर्णित भूमि को आवेदिका के नाम पर रैयतिकरण करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित भूमि मौजा–नगला, थाना संख्या–222, थाना–करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है। भूमि का विवरण निम्नवत है:–

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	चौहदी
142	94/112	0.20 डी०	उतर–बालकेश्वर साव दक्षिण–शालीग्राम सिंह पूरब–शालीग्राम सिंह पश्चिम–हीरा अहिर

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादी अंचल अधिकारी, करपी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवादीगण उपस्थित नही हुए। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा कार्यालय पत्रांक 376 दिनांक 04.06.2019 द्वारा आवेदिका सोनाकली देवी, पति–चनारीक यादव को रैयतिकरण करने हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया है। आवेदिका न्यायालय में उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका का अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में वकास्त भूमि है।

(2) आवेदिका ने प्रस्तावित भूमि मो० बीबी अतीया बबूल उर्फ सहजादी खातुन से केवाला संख्या–2951 दिनांक 22.06.1987 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया है तथा शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चली आ रही है।

(3) प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी आवेदिका के नाम से कायम है और राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे है।

(4) प्रस्तावित भूमि का एल० पी० सी० आवेदिका के नाम से अंचल कार्यालय, करपी से निर्गत किया गया है।

(5) राजस् कर्मचारी करपी द्वारा प्रस्तावित भूमि का रैयतिकरण हेतु जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2019 को किया गया जो सही है।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में प्रस्तावित भूमि का रैयतिकरण करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा दाखिल रेयतिकरण से संबंधित अभिलेख तथा वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, करपी ने पत्रांक 376 दिनांक 04.06.2019 द्वारा प्रस्तावित भूमि का वकास्त मालिक है। आवेदिका का अभिलेख में मिलान करने पर सही पाया गया। आवेदिका का जमाबंदी 45/01 पर कायम है और लगान रसीद 2012–2013 तक निर्गत है। आवेदिका ने प्रस्तावित भूमि मो० बीबी अतीया बबुल उर्फ सहजादी खातुन, पति–सईयद शाह सइयद हुसैन से वसीका संख्या–1940 दिनांक 22.06.1987 से खरीद किया है।

प्रस्तावित भूमि की जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, करपी से किया गया। अंचल अधिकारी, करपी ने कार्यालय पत्रांक 65 दिनांक 08.02.2021 द्वारा अवगत किया है कि भूमि आवेदिका सोनाकली देवी, पति–चनारिक यादव के नाम से केवाला संख्या–2950 दिनांक 22.06.1987 द्वारा बीबी अतिया बबुल उर्फ सहजादी खातुन से खरीदगी भूमि है जिसका राजस्व रसीद 2018–2019 तक वसुल है।

अंचल अधिकारी, करपी द्वारा एल० पी० सी० में बताया है कि भूमि गैरमजरूआ मालिक, आम से मुक्त है जबकि अंचल अधिकारी, करपी द्वारा प्रस्तावित भूमि वकास्त भूमि बताया है। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नही दिया है। अतः रैयतिकरण करना उचित प्रतीत नही होता है। रैयतिकरण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 16/02/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

[signature] 16/02/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।